कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–प्रारं / बजट / बी–1 / पीईओ / 2017–18 / 15 दिनांक 02.02.2018

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,
पंचायत समिति–समस्त।

विषयः–प्रारंभिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों / शैक्षणिक कार्मिकों का वेतन / मानदेय आहरण का अधिकार ग्राम पंचायत परिक्षेत्र के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य, रा.मा. / उ.मा.वि को दिये जाने के क्रम में।

विषयान्तर्गत शासन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों / शैक्षणिक कार्मिकों के वेतन / मानदेय आहरण के अधिकार ग्राम पंचायत परिक्षेत्र के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य, रा.मा. / उ.मा.वि को दिय गये है। आप द्वारा नवीन व्यवस्था के सुगम क्रियान्वयन हेतु निम्न निर्देश दिये जाते है जिनकी पालना आवश्यक रूप से की जावें–

1. जिन शिक्षकों का वेतन paymanager पर बनाया जाता था उनकी आई.डी. paymanager पर हस्तान्तरित की जानी हैं।
2. पंचायत राज (पी.डी.खाता) से संबंधित लेखामद 2202–01–197–14–01 (राज्य निधि) एवं 2202–01–197–15–01 (राज्य निधि) से जिन शिक्षकों / शैक्षणिक कार्मिकों का संवेतन / मानदेय आहरित किया जाता रहा है। इनकी आई.डी. pripaymanager मॉड्यूल पर पी.ई.ई.ओं. को हस्तान्तरित की जानी है। जिन पी.ई.ई.ओ. को शाला दर्शन पोर्टल पर इन लेखामदों में पद आवंटित हो उनके द्वारा इन लेखामदों में विपत्र pripaymanager मॉड्यूल में SUB DDO विकल्प में बना कर संबंधित बी.ई.ई.ओ. के माध्यम से कोष / उपकोष कार्यालयों को प्रेषित किये जाएगें।
3. Pripaymanager मॉड्यूल में आपके लॉगिन में SUB DDO CREAT का विकल्प उपलब्ध है। अतः अपने क्षेत्र के पी.ई.ई.ओं. के लिए Pripaymanager मॉड्यूल पर SUB DDO CREAT कर पी.ई.ई.ओं. को लॉगिन आई.डी. उपलब्ध करावें। पी.ई.ई.ओं. के लिए इसका पासवर्ड Nic123 होगा।
4. अपने क्षेत्र के पी.ई.ई.ओ. से समन्वय स्थापित कर वेतन आहरण संबंधि कार्यवाही में उन्हे आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
5. शहरी क्षेत्र के विद्यालय में कार्यरत शिक्षक / शैक्षणिक कार्मिकों के वेतन / मानदेय के अतिरिक्त अन्य शिक्षक / शैक्षणिक कार्मिक जो पी.ई.ई.ओं. को हस्तान्तरित किये जा चुके है के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन की मांग प्रेषित नहीं करें। किसी शिक्षक के पिछली अवधि का एरियर तथा **वेतन आदि के बकाया होने पर उसका भुगतान पी.ई.ई.ओ. द्वारा ही किया जाएगा।**
6. इस कार्यालय द्वारा पूर्व में दिनांक 28.01.2017 तक ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों / शैक्षणिक कार्मिकों के गत भुगतान पत्र तथा सेवाभिलेख पी.ई.ई.ओ. को हस्तान्तरित करने के निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी कुछ कार्यालयों द्वारा उक्त कार्यवाही सम्पादित नहीं की गई है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों / शैक्षणिक कार्मिकों के गत भुगतान पत्र तथा सेवाभिलेख पी.ई.ई.ओ. को हस्तान्तरण की कार्यवाही शीघ्र सम्पादित करें।

(राजेन्द्र सिंह डूडी)
वित्तीय सलाहकार,
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
2. प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक रा.मा. / उ.मा.वि. कम पदेन पी.ई.ई.ओ.–समस्त।

वित्तीय सलाहकार